न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/45/2004/सवाई माधौपुर

1– श्री चन्द,
2– पांच्या,
3– लोहड्या,
4– कन्हैया पिसरान जन्सी जाति मीणा निवासी जस्टाना तहसील बोंली जिला सवाई माधौपुर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1– मोहनलाल पुत्र तेजा जाति मीणा निवासी जस्टाना तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री वैभव पारीक, अधिवक्ता रैस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांक : 4–9–2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–10–2003 अपील सं0 145/2002 बउनवान श्री चन्द बनाम मोहनलाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी मोहनलाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर वादी व प्रतिवादी एक ही जाति के आपस में रिश्तेदार हैं तथा खेत पास–पास हैं। वादी अपनी खातेदारी पर सैपरेट काबिज रहकर काश्त करता है। पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के खाते एक ही थे परन्तु वादी व प्रतिवादीगण के बुर्जुगों के समय से ही अलग–अलग बट होकर

अलग–अलग काश्त करते आ रहे हैं व खाते भी अलग–अलग हो रहे हैं। वादी अकेला व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण का परिवार बड़ा है। वादी के खेत सं0 678 रकबा 6 बिस्वा, 686 रकबा 10 बिस्वा, 1462 रकबा 1 बीघा कुल 1 बीघा 16 बिस्वा जो प्रतिवादीगण के खेत से अड़ते हुए हैं, पर जबरदस्ती से कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने वादी की गैहूं की फसल जबरदस्ती काटी जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गयी व प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें। विद्धान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया विद्धान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारान की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दिनांक 29–9–2001 को डिक्री कर दिया व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट श्रीचन्द ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर में की जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–10–2003 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। जिस निर्णय दिनांक 31–10–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षो के विद्धान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली सहायक कलक्टर, सवाई माधौपुर से उप जिला कलक्टर बौंली को स्थानान्तरित की गई लेकिन उन्हें तारीख पेशी की सूचना नहीं मिल पाने से विचारण न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। प्रत्यथी वादी ने दिनांक 23–9–1985 को इकरारनामा ग्राम पंचायत के समक्ष लिखा था जिसे सरपंच ने तस्दीक किया है। उक्त इकरारनामें के आधार पर कब्जा हमारा होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं था। हमारे द्धारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत था उसके बाबत भी कोई फाईडिंग अपने निर्णय में नहीं दी है। बेचान का इकरारनामा लिखना स्वयं प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है। इसलिए हम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के हकदार है। प्रत्यर्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पिछले 36 साल से कब्जा अपीलार्थी का है। कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री नहीं किया जा

सकता। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा पारित आक्षेपित निर्णय निर्णय योग्य हैं।

5– प्रत्यर्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के न्यायालय से रिमाण्ड होने पर दिनांक 18–10–2000 को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 23–1–2001 को प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी थी लेकिन उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् दिनांक 5–11–2001 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 2–5–2002 को प्रतिवादी के अभिभाषक श्री राजकुमार कुर्मी उपस्थित हुए हैं और साक्ष्य हेतु समय चाहा है लेकिन एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इकरारनामा दिनांक 23–9–1985 पर एक भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। फर्जी दस्तावेज से रहन लेना बताया जिसके आधार पर प्रतिवादी को कोई हक हासिल नहीं होते है। पीडब्ल्यू–3 लोहड्या के द्धारा कब्जा वादी का माना है। खसरा गिरदावरी के आधार पर अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निकर्ष हैं जिनमें द्धितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

6– हमने विद्धान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व रिकार्ड व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7– विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (द्धितीय) सवाई माधोपुर द्धारा अपने निर्णय दिनांक 29–9–2001 में वाद वादी डिक्री कर वादी को आराजी ख0 नं0 678 रकबा 6 बिस्वा, 686 रकबा 10 बिस्वा, 1472 रकबा 1 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–10–2003 द्धारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2047 से 2050 में वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 678, 686, 1462/1472 वादी की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के बुजुर्गो की आराजीयात होना सिद्ध हो। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त सिद्ध नहीं कर पाये हैं जबकि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 18–6–1996, खसरा गिरदावरी तथा बयानों से भी वादी का कब्जा सिद्ध होता है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर उचित निर्णय पारित किया है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिसम्मत रूप से विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

10– अतः उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज जाती है। सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (द्वितीय), सवाई माधौपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2001 एवं राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधौपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2003 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य